संख्या :– /XXIV(6)/2016/25(4)12

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनांकः जुलाई, 2016

विषयः विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में ऑडिटोरियम भवन के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्रांकः–केयू/भवन–266/2016/406 दिनांक 20.01.2016 एवं केयू/ भवन–266/ 2016/406 27 फरवरी, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय के डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल में ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 390.84 लाख के आगणनों पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त आगणन रू0 390.84 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 145.45 लाख एवं शासनादेश संख्या–436B/XXIV(6)/2014/25(4)/12, दिनांक 26 मार्च, 2015 द्वारा धनराशि रू0 132.95 लाख कुल धनराशि रू0 278.40 लाख अवमुक्त की गई है, उक्त धनराशि को घटाते हुये अवशेष धनराशि रू0 112.44 लाख (रू0 एक करोड़ बारह लाख चवालीस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशानुसार तथा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत किया जाएगा। तत्पश्चात नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक धनराशि रोककर कार्य की लागत मे वृद्धि नहीं की जाएगी।

(ii) स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत् रखते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जाये। चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यों हेतु जब अन्तिम किश्त निर्गत की जाय तो उक्त अन्तिम किश्त निर्गत करने से पूर्व उक्त कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Evaluation) करा लिया जाय, ताकि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि का शीघ्रातिशीघ्र उपभोग सुनिश्चित कराते हुए कार्यदायी संस्था को कार्य की प्रगति में समुचित तेजी जाने हेतु भी निर्देशित किया जाय, जिससे कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो सके। भवन की लागत का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) प्रश्नगत कार्य आगणन की संस्तुत लागत में ही पूर्ण करा लिया जाएगा। इस हेतु कार्यदायी संस्था से लिखित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाय तथा कार्य की प्रगति कर नोडल अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण कर निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण करा लिया जाय। उक्त निर्माण कार्य के आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, एवं किसी भी दशा मे अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(v) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(vi) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vii) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, डी0जी0एस0एन0डी0 की दर संबंधी शासनादेशों का पूर्ण पालन किया जाना होगा।

(viii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(ix) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(x) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(xi) कार्य प्रारम्भ कराने पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन(केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायें।

3— निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाए एवं विशेष रूप से किए जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आंगणन में की जाए। कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तदायी मानी जाएगी।

4— व्यय उन्हीं कार्यों/योजनाओं मदों पर किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा तथा समय—समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों में वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय, भौतिक विवरण आदि की सूचना प्रशासकीय विभाग के साथ ही नियोजन/वित्त विभाग को माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा कार्यो की सतत् मोनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

6— निमार्ण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(7)/2007 दिनांकः 15.12.2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U हस्ताक्षरित किया जाएगा।

7— उक्त संबंध में विगत् शासनादेश संख्याः—177/XXIV(6)/2006 दिनांकः 3.3.2006 में उल्लिखित शर्तें यथावत् लागू रहेंगी। साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत **विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या—**H1608110172(प्रति संलग्न) कर निर्गत किए जा रहे है।

8— इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014—15 में अनुदान संख्या—11 के आयोजनागत् पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय—01—सामान्य शिक्षा— आयोजनागत—203—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा—14—कुमाऊं विश्वविद्यालय—35—पूंजीगत् परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन :—223(1)/XXIV(6)/2016/25(4)12 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा ,हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. वित्त अनुभाग—3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
10. परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
सयुक्त सचिव।